न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 28/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00284

| अपीलाण्ट :- | बनाम | रेस्पोडेण्ट्स :- |
|---|---|---|
| श्रीमती लीला देवी पत्नी नेमीचन्द जाति मेवाडा . कलाल, निवासी मानपुरा, कीरो की ढाणी, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.) | : | मृतक बालू पुत्र भोलाजी जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी मानपुरा तहसील पाली, जिला पाली के उत्तराधिकारीगण<br>1. तुलसाराम पुत्र बालू जाति कीर, निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा, पाली तहसील पाली जिला पाली।<br>2. मृतक भीमाराम पुत्र बालू जाति कीर के उतराधिकारीगण<br>2/1. मनोहर पुत्र भीमाराम<br>2/2. चेतन पुत्री भीमाराम<br>2/3. आशा पुत्री भीमाराम जातिगण कीर, निवासी मानपुरा, कीरो की ढाणी, पाली तहसील पाली जिला पाली।<br>3. मृतक कानाराम पुत्र बालू जाति कीर का उतराधिकारीगण<br>3/1 भरत पुत्र कानाराम जाति कीर, निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा, पाली तहसील पाली जिला पाली।<br>4. सजिया पत्नी अणदाजी पुत्री बालूजी जाति कीर, निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा, पाली तहसील पाली जिला पाली, हाल निवासी पिचियाक, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राजस्थान (राज.)<br>5. मंगलादेवी पत्नी श्री बाबूलालजी पुत्री बालूजी जाति कीर निवासी मानपुरा, कीरो की ढाणी, पाली तहसील पाली जिला पाली, हाल निवासी ग्राम मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही, राजस्थान<br>6. श्रीमती झमकु पत्नी तुलसाराम जाति कीर, निवासी मानपुरा, कीरो की ढाणी, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)<br>7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार, पाली जिला पाली। |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956**

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 30.09.2024

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली के राजस्व विविध

Scanned with ACE Scanner

प्रकरण संख्या 13/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह चौहान वक्त बहस अनुपस्थित होने से उन्हें अपने समर्थन में आदेश दिनांक पूर्व लिखित बहस पेश करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर उन्होंने दिनांक 27.09.2024 को लिखित बहस पेश की जिसकी प्रति अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स को दिलाई गई। रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बरीश कुमार वक्त बहस उपस्थित हुये।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया खसरा नम्बर 174 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, मौजा ग्राम– मानपुरा, तहसील पाली में स्थित है जिस कृषि भूमी के 1/2 हिस्से का सहखातेदार बालू पुत्र भोलाजी, जाति कीर, निवासी मानपुरा, कीरो की ढाणी, पाली तहसील पाली जिला पाली था एवं रहा जिसका 1/2 हिस्से का खातेदार बालू पुत्र श्री भोलाजी का स्वर्गवास 1991 में हो जाने से 1/2 हिस्से का खातेदार बालू पुत्र भोलाजी के विरासती नामान्तरकरण संख्या 490 स्वीकृत दिनांक 20.05.1992 के जरिये स्व. बालू पुत्र भोलाजी के उतराधिकारीगण के जायन्दा पुत्रों तुलसाराम, भीमाराम, कानाराम प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से के खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किये गये। तत्पश्चात् उक्त आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार भीमाराम पुत्र बालूजी द्वारा अपनी सम्पूर्ण 1/6 हिस्से की खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 02.08.2003 एवं उक्त आराजी भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार कानाराम पुत्र बालूजी द्वारा अपनी सम्पूर्ण 1/6 हिस्से की खातेदार भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 23.08.2003 के बहक अपीलाण्ट को बेचाण मुन्तकिल कर उक्त आराजी के कुल 1/3 हिस्से की भूमि का कब्जा भी मौके पर अपीलाण्ट को सुपुर्द कर दिया गया। अपीलाण्ट के पक्ष में उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 686 स्वीकृत किया गया। उक्त राजस्व रेकर्ड को अनदेखा करते हुए जैर आराजी पर काबिज को प्रभावी पक्षकार बनाये बिना मृतक बालू का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 490 स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध मृतक बालू की पुत्रियां दाखूदेवी व सजिया द्वारा श्रीमान के न्यायालय में एक अपील पेश की जिसमें न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक द्वारा प्रकरण जैर आराजी से संबंधित सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनकर व विधिवत जांच कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली ने पत्रावली संख्या 13/2007 कायम कर काबिज रेकर्डेड खातेदार अपीलाण्ट को बिना नोटिस जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट का नाम हटाकर नया नामान्तरकरण संख्या 804 स्वीकृत कर दिया जिसमें पूर्व बेचानकर्ता भीमाराम व कानाराम के नाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के हैसियत से दर्ज कर दिये। प्रकरण में रेस्पो. संख्या 02 व 03 के देहान्त हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है दाखु देवी ने अपने जीवन काल में अपना हक हिस्सा रेस्पो. संख्या 06 को बेचान कर दी थी जिससे झमकु देवी को पक्षकार बनाया गया है। बिना अपीलाण्ट को सुने दिनांक 30.07.2008 की पालना में अपीलाण्ट की खरीदसुदा आराजी का बेचाणकर्ता पूर्व खातेदार भीमाराम व कानाराम का नाम पुनः नामान्तरकरण संख्या 846 दिनांक 02.02.2010 के स्वीकृत करने में अदालत मातेहत ने गम्भीर भूल की है जिससे जैर अपील आदेश व उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। उक्त बेचान व हस्तानान्तरण की तहसीलदार पाली को सचेष्ट जानकारी होते हुए भी अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिले खारिज है। अतः तहसीलदार पाली द्वारा जैर अपीलाधीन

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

आदेश पारित किया गया जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील पेश करने की इजाजत में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देते है।

प्रकरण में श्रवणसुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 490 दिनांक 20.05.1992 को मृतक बालू के स्थान पर उनके तीन पुत्रों तुलसाराम, भीमाराम व कानाराम के नाम विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ अर्थात् विवादित भूमि में तुलसाराम, भीमाराम व कानाराम तीनों पुत्रों का 1/6 हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 490 दिनांक 20.05.1992 से तय हुआ था। उक्त हिस्सा तय होने के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 686 से अपीलाण्ट लीलादेवी द्वारा भीमाराम व कानाराम प्रत्येक का 1/6 हिस्सा यानी कुल 1/3 हिस्सा भीमाराम एवं कानाराम से क्रय कर लिया था तथा नामान्तरकरण संख्या 686 से अपीलाण्ट 1/3 हिस्से की खातेदार बनाई गई थी। मृतक बालूराम की पुत्रिया दाकू एवं सजिया द्वारा न्यायालय हाजा में एक अपील प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपील में नामान्तरकरण संख्या 846 जो कि दिनांक 02.02.2010 को स्वीकृत हो चुका है तो उसमें लीला देवी अपीलाण्ट को प्रविष्ट हो जाने के उपरान्त भी उसे पक्षकार बनाये बिना सिर्फ अपने परिजनों को ही पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की तथा न्यायालय हाजा को भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर उक्त पश्चातवृति नामान्तरकरण 846 को नजरअन्दाज कर अपीलाण्ट के गलत तथ्यों के कारण रखते हुए नामान्तरकरण संख्या 490 जिसमें बालू की विरासत का नामान्तरकरण अंकित किया गया था उसे अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 804 दर्ज कर दिया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.10.2008 को यह अंकित किया गया कि "निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर अनुसार स्वीकृत किया जाता है किन्तु भूमि का बेचान होकर अन्य खातेदार प्रभावित हो रहे है। अतः वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे ताकि खरीदादारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जा सके"। उक्त नामान्तरकरण संख्या 804 के बाद पुनः नामान्तरकरण संख्या 846 दिनांक 30.07.2008 को निर्णय पारित करते हुए बालू की विरासत में उसके तीन पुत्रों व दोनों पुत्रियों के नाम दर्ज कर दिया जबकि दो पुत्र भीमाराम व कानाराम द्वारा तत्समय के अपने 1/6 प्रत्येक अर्थात् कुल 1/3 हिस्से का विक्रय अपीलाण्ट को किया जा चुका था। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय की पालना में तहसीलदार का यह कर्त्तव्य था कि वह राजस्व रेकर्ड अनुसार जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे, क्योंकि सारा राजस्व रेकर्ड तहसीदार के पास उपलब्ध होता है। अतः उसका अवलोकन कर यदि क्रेता को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो निःसन्देह प्रकरण में विधिपूर्ण निर्णय हो पाता। हालांकि इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतक बालू की विरासत में उसकी पुत्रियों को भी हक दिया जाने का निर्णय पारित किया है उसको हम किसी प्रकार परिवर्तित नहीं करना चाहते परन्तु जिन दो पुत्रों द्वारा अपने विधि अनुसार प्राप्त हकों का विक्रय कर दिया है। यदि उनके हक से ज्यादा का विक्रय है तो उनके विधिक हक तक के विक्रय को मान्यता देते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया जाकर मृतक बालू के दो पुत्र भीमाराम एवं कानाराम द्वारा किये गये विक्रय जो कि अपीलाण्ट को किया

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

गया, उसे नजरअन्दाज कर पारित किया गया निर्णय प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2008 अपास्त किया जाकर प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में मृतक बालू की विधिक विरासत में से अपीलाण्ट द्वारा क्रय किये गये विक्रय पत्र एवं विक्रेताओं के विधिक हक की सीमा तक विक्रय को मान्यता देते हुए समग्र रूप से सभी पक्षकारों को सुनकर बाद जांच विधिक निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **28.11.2024** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner